

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद— वाराणसी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद— वाराणसी।

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2018–19 / 4841-२ दिनांक: 06.08.2018

विषय:— राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जून 2018 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या एस०पी०एम०यू०/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई० / 2018–19 / 18 / 565–2 दिनांक—24.04.2018) राज्य स्तरीय टीम के द्वारा दिनांक 25 से 27 जून 2018 तक जनपद वाराणसी का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। राज्य स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक
तददिनांक:

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू. / एन.एच.एम. / सहयोगात्मक पर्यवेक्षण / 2018–19 /

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, च०स्वा० एवं प०क०, वाराणसी मण्डल।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक / अनुभागाध्यक्ष, एस०पी०एम०यू०, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक / रीजनल आशा कोऑर्डिनेटर एन०एच०एम०, वाराणसी मण्डल को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

दिनांक 25 जून से 27 जून 2018 तक जनपद—वाराणसी की भ्रमण आख्या

मिशन निदेशक महोदय द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 25 जून से 27 जून 2018 तक जनपद— वाराणसी में वित्तीय वर्ष 2018–19 में सहयोगात्मक पर्यवेक्षण हेतु भ्रमण किया गया। भ्रमण टीम में डा० अनीता कुमारी, सलाहकार, कम्युनिटी प्रोसेस और डा० अर्पित श्रीवास्तव, सलाहकार, नियमित टीकाकरण द्वारा भ्रमण किया गया।

दिनांक— 25.06.2018, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र काशी विद्यापीठ —

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में साफ सफाई नहीं थी। सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं थी। आई० ई०सी०की कमी पाई गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> सिटीजन चार्टर लगाया जाना है। परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई० ई० सी० लगायी जानी है। 	चिकित्सा अधीक्षक
मानदेय	<ul style="list-style-type: none"> समस्त ब्लॉकस्टरीय संविदा कर्मचारियों का मानदेय माह मई 2018 तक किया गया है, परन्तु भ्रमण का भुगतान नहीं किया गया है। 	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सा अधीक्षक द्वारा बताया गया कि जनपद से सम्पर्क कर भ्रमण का भी भुगतान कर दिया जायेगा। 	चिकित्सा अधीक्षक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
जननी सुरक्षा योजना	<ul style="list-style-type: none"> 40 लाभार्थीयों का भुगतान नहीं किया गया था। 	<ul style="list-style-type: none"> माह जुलाई 2018 में उक्त लाभार्थीयों का भुगतान किये जाने का कार्य प्रगति पर है। 	चिकित्सा अधीक्षक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> लाभार्थीयों को डाइट नहीं दिया जा रहा था। डाइट रजिस्टर सही से नहीं बनाया जा रहा है। डाइट की सही रिपोर्टिंग नहीं की जा रही थी 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि जब तक डाइट एजेन्सी का भुगतान नहीं किया जाता है तब तक होने वाली आगामी DHS की बैठक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौलापुर में लोकल स्तर पर व्यवस्था करके डाइट दिया जाने हेतु अनुमोदन प्राप्त कर व्यवस्था की जायें। टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि डाइट रजिस्टर सही से बनाया जाए एवं रिपोर्टिंग के दौरान रजिस्टर से मिलान करने के उपरांत ही रिपोर्ट किया जाए। 	चिकित्सा अधीक्षक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
आशा/आशा संगिनी का भुगतान	<ul style="list-style-type: none"> आशा/आशा संगिनी भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> माह अप्रैल 2018 तक आशाओं को प्रत्येक मदों में और आशा संगिनी को माह मई 2018 तक भुगतान कर दिया गया है। 	चिकित्सा अधीक्षक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर/वाउचर	<ul style="list-style-type: none"> आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर उपलब्ध नहीं था आशाओं से प्रत्येक माह वाउचर एकत्र कियें जाते हैं परन्तु वाउचर का रख-रखाव व्यवस्थित तरीके से नहीं किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> बी.सी.पी.एम. को बताया गया कि आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर की उपलब्धता न होनें पर excel sheet का प्रिंट निकालकर फाइल में लगाया जायें। प्रत्येक माह कम्प्यूटर से प्रिंट निकालकर रजिस्टर पर 	प्रभारी चिकित्साधिकारी/ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
		<ul style="list-style-type: none"> चर्चा किया जा सकता है। बी.सी.पी.एम. को बताया गया कि प्रत्येक माह वाउचर को किस प्रकार क्रास चेक किया जायें और किस प्रकार प्रत्येक माह वाउचर को व्यवस्थित तरीके से फाइल में रखा जायें। 	
आशा कल्स्टर मीटिंग	<ul style="list-style-type: none"> आशा कल्स्टर मीटिंग प्रत्येक माह आयोजित की जाती है। आशा कल्स्टर मीटिंग का रजिस्टर उपलब्ध था परन्तु उसमें कार्यवृत्ति दियें गये निर्देशानुसार नहीं लिखी जा रही है। 	<ul style="list-style-type: none"> बी.सी.पी.एम. को बताया गया कि भेजें गये निर्देशानुसार ऐजेंडा और कार्यवृत्ति बैठक रजिस्टर में अवश्य लिखी जायें। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर
रोगी कल्याण समिती	<ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिती का पुराना रजिस्टर दिखाया नहीं गया। रोगी कल्याण समिती का नया रजिस्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर उपलब्ध था, परन्तु उसमें बैठक की कार्यवृत्ति नहीं लिखी जा रही है। द्वितीय चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि पुराने रजिस्टर पर कार्यवृत्ति लिखी गयी है। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा बताया गया कि रोगी कल्याण समिती का रजिस्टर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर ही रखा जायें। प्रत्येक माह बैठक की कार्यवृत्ति लिखी जायें। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लॉक अकाउन्ट मैनेजर
आशा शिकायत निवारण समिती	<ul style="list-style-type: none"> आशा शिकायत निवारण समिती का दीवाल लेंखन नहीं था। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा बताया गया कि आशा शिकायत निवारण समिती का दीवाल लेंखन किया जाना है जिसका दिशा-निर्देश भेज दिया गया है। 	प्रभारी चिकित्साधिकारी / ब्लॉक कम्यूनिटी प्रोसेस मैनेजर
आर०बी०एस० के०	<ul style="list-style-type: none"> आर०बी०एस० के० टीम पी.एच.सी. पर थी और समय होने पर क्षेत्र में चली गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> मास्टर प्लान CHC पर उपलब्ध नहीं था। 	चिकित्सा अधीक्षक
पैथालिजी	<ul style="list-style-type: none"> पी.एच.सी. के एक छोटे से कमरे में पैथालिजी का काम होता है। उस छोटे से कमरे में बलगम के साथ ही अन्य जॉचें भी होती है। लैब टैक्नीशियन द्वारा समस्त कार्य अच्छे से किये जा रहे हैं। माह के अनुसार समस्त रिकार्ड भी रखें जा रहे हैं। HIV kit की सभी test kit खुलें में रखी गयी हैं। पैथोलॉजी लैब में Tallqvist paper से हिमोग्लोबिन जांच किया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा निर्देशित गया कि बलगम जॉच के लिये एक पृथक से कमरे की व्यवस्था की जायें। हिमोग्लोबिनोमीटर द्वारा हिमोग्लोबिन की जांच की जानी है। Tallqvist paper का उपयोग नहीं किये जाना है। साथ ही फार्मासिस्ट को निर्देशित किया गया की पैथोलॉजी लैब हेतु Tallqvist paper ना issue किया जायें। 	चिकित्सा अधीक्षक

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> लेबर रूम के साफ सफाई में कमी पायी गयी। साथ ही सम्बंधित प्रोटोकॉल पोस्टर्स नहीं लगे थे। कक्ष में लेबर टेबल के ऊपर Macintoshsheet उपलब्ध नहीं थी एवं Kelly's Pad का इस्तेमाल भी नहीं किया जा रहा था। अप्सिस्ट पदार्थों का निस्तारण करने का कोई भी नियम नहीं है। लेबर रूम में पुराने प्रारूप पर रजिस्टर्स भरे जा रहे हैं। लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाइया उपलब्ध नहीं थी। साथ ही कुछ expiry दवाईयां पायी गयी। लेबर रूम रजिस्टर एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन करने के उपरांत ये तथ्य सामने आया कि शनिवार, रविवार एवं छुट्टी की दिनों में भरती गर्भवती महिलाओं के प्रसव उपरांत जन्मे बच्चों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> अधीक्षक द्वारा अवगत कराया गया की प्रसव कक्ष के साथ में एक कक्ष है जिसे प्रसव कक्ष के रूप में तैयार कर लिया जाएगा। यह कक्ष तैयार होने पर मानकानुसार प्रसव हेतु ज्यादा उपयुक्त रहेगा। 1 माह के भीतर यह कार्य पूर्ण किये जाने की सम्भावना है। नए प्रारूप के डिलेवरी रजिस्टर, ए०एन०सी० रजिस्टर, टीकाकरण रजिस्टर एवं अन्य रजिस्टर्स को उपलब्ध कराना एवं पूर्ण रूप से भरे जाना है। 7 ट्रे को मानकानुसार रखे जाना है। expiry दवाईयों को तत्काल प्रभाव से हटाते ही निर्देशित किया गया कि समय-समय पर राखी हुई दवाइयों को चेक किया जायें। ट्रे के ढक्कन पर दवाइयों की सूची लगायी जायें। जिससे समय पूर्ण होने पर चिह्नित दवाईयों को बदला जा सकें। शनिवार, रविवार एवं छुट्टी की दिनों में चिकित्सालय परिसर में जन्मे बच्चों का टीकाकरण हेतु व्यवस्था की समीक्षा कर सुधारात्मक कार्यवाही सुनिश्चित करें। 	चिकित्सा अधीक्षक / स्टॉफ नर्स
एन.बी.एस.यू.	<ul style="list-style-type: none"> 1 रेडियंट वार्मर उपलब्ध था परन्तु उसका एंजामिनेशन बल्ब खराब था। साथ ही उपकरण की साफ सफाई नहीं की जा रही है वर्तमान समय में दो रेडियेन्ट वार्मर कार्य कर रहे हैं। 	<ul style="list-style-type: none"> रेडियंट वार्मर की स्थिति से चिकित्सा अधीक्षक को अवगत कराते हुए, उपकरण के रख रखाव हेतु कार्यरत स्टाफ नर्स को दायित्व सौंपा गया। 	चिकित्सा अधीक्षक / स्टॉफ नर्स

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में साफ सफाई थी। सिटीजन चार्टर मौजूद नहीं था। आई० ई०सी०की कमी पाई गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> सिटीजन चार्टर लगाया जाना है। परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई० ई० सी० लगायी जानी है। 	चिकित्सा अधीक्षक
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> लाभार्थियों को डाइट नहीं दिया जा रहा था। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा यह सलाह दी गयी कि लाभार्थियों को डाइट दिया जाना सुनिश्चित करें। शीघ्र ही एजेन्सी का पता लगाकर JSSK लाभार्थियों डाइट दिया जाये। 	चिकित्सा अधीक्षक/ब्लॉक लेखा प्रबन्धक
प्रसव कक्ष	<ul style="list-style-type: none"> प्रसव कक्ष में साफ-सफाई एवं संक्षमण नियंत्रण में कमी पायी गयी। Kelly's Pad डिलेवरी टेबल पर थे। लेबर रूम में पुराने प्रारूप पर रजिस्टर्स भरे जा रहे हैं। लेबर रूम में 7 ट्रे मानकानुसार नहीं पाया गया। ट्रे में आवश्यक दवाईयाँ उपलब्ध नहीं थी। प्रसव कक्ष में काफी मात्रा में सरसों का तेल रखा हुआ पाया गया। लेबर रूम में मात्र प्रसव रजिस्टर है जो पुराने फारमेट पर पुराने रजिस्टर में बनाया जा रहा है। अन्य कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मरीजों हेतु नयी case sheet उपलब्ध नहीं थी। अवलोकन करने के उपरांत ये तथ्य सामने आया कि गर्भवती महिलाओं के प्रसव के उपरांत जन्मे बच्चों को टीका नहीं लगाया जा रहा है। प्रसव कक्ष एवं PNC वार्ड में शौचालय की सुविधा नहीं है। 4 स्टाफ नर्स यहाँ तैनात है परन्तु बच्चों के टीकाकरण कार्य नहीं होता है। समस्त बच्चों को पी.एच.सी. काशी विद्यापीठ भेजा जाता है। 	<ul style="list-style-type: none"> जिला कार्यक्रम प्रबन्धक और मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि नया रजिस्टर प्रिन्ट कराया जाना है, शीघ्र ही उपलब्ध करा दिया जायेगा। शीघ्र ही केश सीट उपलब्ध करा दी जायेगी। स्टाफ नर्स द्वारा बताया गया कि 7 ट्रे को मानकानुसार करा दिया जायेगा। मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा बताया गया कि शीघ्र ही टीकाकरण कराने के लिए व्यवस्था की जायेगी। 	चिकित्सा अधीक्षक/स्टॉफ नर्स
रोगी कल्याण समिति	<ul style="list-style-type: none"> रोगी कल्याण समिति से संबंधित कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। 	<ul style="list-style-type: none"> डी.पी.एम. / डी.सी.पी.एम द्वारा आर.के.एस. का अवलोकन किया जाना है एवं सुधार हेतु सहयोगात्मक कार्यवाही अपेक्षित है। 	डी.पी.एम. / डी.सी.पी.एम

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
ए.एन.सी.	<ul style="list-style-type: none"> पुराने प्रपत्र का ए.एन.सी. रजिस्टर उपलब्ध था। एच.आर.पी. रजिस्टर उपलब्ध नहीं था। पुराना एच.आर.पी. रजिस्टर 26 जुलाई 2017 तक भरा हुआ था। 	<ul style="list-style-type: none"> नये प्रपत्र का ए.एन.सी. रजिस्टर उपलब्ध कराया जाना है। एच.आर.पी. रजिस्टर अधुनात्त किया जाना है। 	चिकित्सा अधीक्षक / एल0एम0ओ

दिनांक— 26.06.2018, जनपद— वाराणसी, शिव प्रसाद गुप्त जिला महिला चिकित्सालय—

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
चिकित्सालय परिसर	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में साफ सफाई थी। परिसर में आई०ई०सी०की कमी पाई गयी। 	<ul style="list-style-type: none"> परिसर में स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं दी जाने वाली सेवाओं की नवीनतम आई० ई० सी० लगायी जानी है। 	चिकित्सा अधीक्षक
वार्ड	<ul style="list-style-type: none"> महिला वार्ड में संबंधित आई.ई.सी. की कमी पायी गयी। भर्ती मरीजों से चर्चा के दौरान पाया गया कि— <ol style="list-style-type: none"> कुछ जाँचें बाहर के पैथालॉजी लैब से करायी जा रही है। (फिरदौस, 25 वर्ष, महिला, मो-8195770729, भर्ती दिनांक—21.06.18, जांच—थायराइड एवं आर.बी.एस.) बच्चे के जन्मोपरान्त माँ को सौंपे जाने पर परिवार से धनराशि की माँग की जाती है। कुछ भर्ती मरीजों के परिजनों द्वारा शिकायत की गयी कि स्टाफ नर्स द्वारा प्रसव के दौरान धनराशि ली गयी थी। प्रसव उपरान्त माँ द्वारा बच्चे के स्तनपान कराये जाने हेतु काउन्सलिंग नहीं की जा रही है। 	<ul style="list-style-type: none"> वार्ड में संबंधित सेवाओं की नवीनतम आई०ई०सी० लगायी जानी है। वार्ड का प्रतिदिन निरीक्षण किया जाना अपेक्षित है। बाहर से जॉच बंद कराये जाने, प्रसव उपरान्त मरीजों से कोई भी शुल्क न लिये जाने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा प्रसव उपरान्त माँ एवं परिजनों को दी जाने वाली जानकारी नियमित रूप से दिया जाना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। 	
आर.के.एस.के. काउन्सलर/परिवार नियोजन काउन्सलर	<ul style="list-style-type: none"> आर.के.एस.के. काउन्सलर/परिवार नियोजन काउन्सलर के बैठने की जगह व्यवस्थित नहीं है। परिवार नियोजन काउन्सलर द्वारा बताया गया कि गैलरी में खुलें स्थान में बैठनें के कारण काउन्सलिंग का कार्य बाधित होता है। परिवार नियोजन काउन्सलर के पास कोई भी रिकार्ड नहीं है। परिवार नियोजन काउन्सलर के अनुसार उनके पास संबंधित आई.ई.सी. साप्रगी नहीं थी। जिसके स्वरूप वह सही से काउन्सलिंग नहीं कर पा रहे थे। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा काउन्सलर को निर्देशित किया गया कि जगह व्यवस्थित करें। काउन्सलिंग करते समय रखें हुयें परदें का प्रयोग करें। इससे सम्बन्धित समस्त सूचना अपनें पास रखा जायें जिससे कि हुयी गतिविधियों की जानकारी का पता चलेंगा। इससे सम्बन्धित आई.ई.सी. सामग्रियों को इस स्थान पर अवश्य रखा जायें। टीम द्वारा परिवार नियोजन काउन्सलर के पास रखे फिलप बुक से अवगत कराते हुये काउन्सलिंग के दौरान उसे 	मुख्य चिकित्सा अधीक्षक / काउन्सलर

	<ul style="list-style-type: none"> काउन्सलर से चर्चा के दौरान संबंधित कार्यक्रमों की जानकारी में कमी पायी गयी। आर.के.एस.के. काउन्सलर द्वारा अवगत कराया गया कि उनके द्वारा स्कूलों में जाकर काउन्सलिंग की जाती है, परन्तु कोई भी टूर प्लान उपलब्ध नहीं है। 	<ul style="list-style-type: none"> उपयोग किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। टीम द्वारा काउन्सलर को संबंधित दिशा निर्देश के बारे में जानकारी देते हुये तथा एन.आर.एच.एम. की वेबसाइट पर उसकी उपलब्धता से अवगत कराया गया। निर्देशित किया गया कि काउन्सलिंग हेतु निर्धारित विषयों पर अद्यतन जानकारी प्राप्त करें।
जननी सुरक्षा योजना	<ul style="list-style-type: none"> इस वित्तीय वर्ष (माह अप्रैल से जून 2018) में अब तक 865 प्रसव हुये हैं। जिसमें 600 लाभार्थियों का जननी सुरक्षा योजना का भुगतान कर दिया गया है। 265 लाभार्थियों का भुगतान लम्बित है। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा बताया गया कि लम्बित भुगतान को शीघ्र ही कर लिया जायें।
जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम	<ul style="list-style-type: none"> चिकित्सालय में रसोई उपलब्ध है। जिसके माध्यम से लाभार्थियों को डाइट दिया जा रहा है। 	<ul style="list-style-type: none"> टीम द्वारा सराहना की गयी।

दिनांक— 26.06.2018, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, जिला चिकित्सालय— जनपद— वाराणसी

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
एन0 आर0 सी0	<ul style="list-style-type: none"> स्टाफ नर्स द्वारा भर्ती बच्चों को अलग अलग फाइल नहीं बनायी जा रही है। एन0 आर0 सी0 में बच्चों के कीड़ा हेतु एक कमरा निर्धारित है। जो एन0आर0सी0 से दूर होने के कारण उपयोग नहीं हो पा रहा है। एन आर सी में लगे टेलीविजन में स्वास्थ्य एवं सम्बंधित चलचित्र नहीं प्रदर्शित किये जा रहे थे। एन0आर0सी0 में एम0सी0पी0 कार्ड एवं टीकाकरण का फॉलोअप नहीं किया जा रहा है। किचन में सफाई की कमी पायी गयी। बेड पर चादर गन्दे थे। कुछ बच्चे सैम मानक के अनुसार भर्ती नहीं पाये गये। 	<ul style="list-style-type: none"> प्रत्येक भर्ती बच्चों की पृथक पृथक फाइल बनायी जानी है। एन0 आर0 सी0 में बच्चों के कीड़ा हेतु निर्धारित कमरा उपयोग में लाया जाना अपेक्षित है। टेलीविजन को रिपेयर कराया जाना है। सम्बंधित चलचित्र उपलब्ध कराया जाना है एवं उनको नियमित रूप से टेलीविजन पर प्रदर्शित किया जाना है। एन0आर0सी0 में ट्रेनिंग हेतु नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की ड्यूटी लगायी जाती है। निर्देशित किया गया कि इन छात्राओं के सहयोग से एम0सी0पी0 कार्ड एवं टीकाकरण का फॉलोअप किया जाये, औ0आर0एस0 डिमान्सट्रेशन इत्यादि का कार्य उचित निरीक्षण में लिया जाये। 	Staff Nurse- NRC/ Hospital Manager/ CMS

गतिविधियां	अवलोकन बिन्दु	सुधारात्मक कार्यवाही	कार्यवाही का स्तर
बी०एच०एन० डी० सत्र	<ul style="list-style-type: none"> पी०एच०सी० हरहुआ के पास घर में सत्र आयोजित किया गया था। ए०एन०एम० निर्मला त्रिपाठी के पास माइकोप्लान उपलब्ध नहीं था। सत्र पर नियमित टीकाकरण एवं संबंधित बैनर उपलब्ध नहीं थे। ए०एन०सी० हेतु निर्धारित एकान्त स्थान उपलब्ध नहीं था एवं ऊँचाई नापने हेतु निर्धारित मेंजरिंग टेप उपलब्ध नहीं था। वैक्सीन कैरियर में हैपेटाइटिस बी के वैक्सीन पायी गयी। ए०एन०एम० द्वारा अवगत कराया गया कि सत्र पर उपयोग में आने वाली वस्तुओं (बैटरी, टार्च, मेंजरिंग टेप इत्यादि) के क्रय में समस्या आती है। 	<ul style="list-style-type: none"> ए०एन०एम० को सत्र पर माइकोप्लान एवं डियू लिस्ट साथ रखने हेतु निर्देशित किया गया। समस्त बिन्दुओं पर एम०ओ०आई०सी० से चर्चा की गयी एवं आयोजित सत्र पर एम०ओ०आई०सी० द्वारा भ्रमण एवं पर्यवेक्षण करने का सुझाव दिया गया। सत्र प्रारम्भ होने से पहले आवश्यक सामग्री की सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है। 	बी०सी०पी०एम०/ एम०ओ०आई०सी०

दिनांक 26.06.2018 को कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद—वाराणसी

दिनांक 26.06.2018 को कार्यालय, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद—वाराणसी में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के साथ बैठक की गयी, जिसमें जनपद स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे। बैठक के दौरान समस्त बिन्दुओं पर चर्चा की गयी—प्रसव रजिस्टर, आई.इ.सी., केस शीट, 102, जे.एस.एस.के, बायोमेडिकल, टीकाकरण। जिसके अनुपालनार्थ में मुख्य चिकित्साधिकारी, वाराणसी द्वारा बताया गया कि दिनांक 28.06.2018 को प्रभारी चिकित्साधिकारी/अधीक्षक, बी.सी.पी.एम, बी०ए०एम० और बी०पी०एम० के साथ बैठक प्रस्तावित की गयी, जिसके बाद उन सभी से इन उर्ध्युक्त बिन्दुओं पर चर्चा की जायेगी।

Anup Singh

प्रेषक,

मिशन निदेशक,
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

1. जिलाधिकारी / अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति
जनपद— वाराणसी।
2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
जनपद— वाराणसी।

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018–19/ 4841-२ दिनांक: ०६.०६.२०१८
विषय:— राज्य स्तरीय दल द्वारा माह जून 2018 में किये गये पर्यवेक्षण की आख्या पर कार्यवाही किये जाने के
सम्बन्ध में।

महोदय,

मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार (कार्यालय पत्र संख्या
एस०पी०एम०य००/एन०एच०एम०/एम० एण्ड ई० /2018–19/ 18 / 565–२ दिनांक—24.04.2018) राज्य स्तरीय
टीम के द्वारा दिनांक 25 से 27 जून 2018 तक जनपद वाराणसी का स्थलीय पर्यवेक्षण किया गया। राज्य
स्तरीय दल द्वारा जनपद के स्थलीय पर्यवेक्षण के दौरान प्रकाश में आये बिन्दुओं के आधार पर भ्रमण आख्या
प्रस्तुत की गयी है जो कि पत्र के साथ संलग्न कर सुधारात्मक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

उक्त के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि संबंधित बिन्दुओं पर कार्यवाही करते हुये अनुपालन आख्या एक
सप्ताह के अन्दर मिशन निदेशक कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: पर्यवेक्षण आख्या।

भवदीय

४८४१-२ (६)
(पंकज कुमार)
मिशन निदेशक

पत्रांक:—एस.पी.एम.यू./एन.एच.एम./सहयोगात्मक पर्यवेक्षण/2018–19/ 4841-२ तदिनांक:
प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित—

1. मण्डलायुक्त, वाराणसी मण्डल वाराणसी।
2. अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र०।
3. मण्डलीय अपर निदेशक, च०स्वा० एवं प०क०, वाराणसी मण्डल।
4. अधिशासी अभियन्ता, समस्त महाप्रबन्धक/अनुभागाध्यक्ष, एस०पी०एम०य००, एन०एच०एम०, उ०प्र०।
5. मण्डलीय कार्यक्रम प्रबन्धक/रीजनल आशा कोऑर्डिनेटर एन०एच०एम०, वाराणसी मण्डल को आवश्यक
कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. जिला कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई, वाराणसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

४८४१-२ (पंकज कुमार)
मिशन निदेशक